



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 35-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2012

दिनांक: 14 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवण्टित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती हेतु आवण्टित निगम/तैनाती स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ओम प्रकाश यादव 86148/कानपुर	अधिशासी अभियन्ता (सं०), मुख्य अभियन्ता (वितरण), बोंदा।	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
2	श्री सहदेव सिंह 86182/मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता, ए०एल०डी०एस०, मुरादाबाद।	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
3	श्री सत्य देव सिंह 88028/जौनपुर	अधिशासी अभियन्ता, (सं०) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
4	श्री अनिल कुमार पाण्डेय 88147/प्रतापगढ़	अधिशासी अभियन्ता, (सं०) विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल-प्रथम, लखनऊ।	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
5	श्री चन्द्रजीत कुमार 88175/बिहार	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, आजमगढ़।	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
6	श्री अनिल कुमार अग्रवाल 7939/मुजफ्फरनगर	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) सम्बद्ध विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, मुरादाबाद।	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) सम्बद्ध विद्युत जानपद पारेषण परिकल्पन मण्डल, लखनऊ। (असंवदेनशील कार्य हेतु)

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- क्र०सं०-3 तथा 6 पर उल्लिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे उक्त आवण्टित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाका०लि०(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 181/रा०नि०आ०/नि०स०/2012 दिनांक 14-06-2012 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 35(1) अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2012 तदुद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 - प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
 - संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, पी०सी०एफ० भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ को उनके पत्रांक 181/रा०नि०आ०/नि०स०/2012 दि० 14-06-2012 के संदर्भ में।
 - समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 - अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(नरेंद्र चेल सेक्सीना)

उप सचिव

25/6/12